संख्या- जी0आई0-156/1-11-2004-46/96

प्रेषक,

श्री कपिल देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक : 01 मार्च, 2005

विषयः प्राकृतिक/दैवी आपदाओं (बाढ़/सूखा/अग्निकाण्ड/भूकम्प/भूस्खलन/शीतलहरी/लू प्रकोप/ओलावृष्टि/अतिवृष्टि/ आकाशीय विद्युत प्रभाव इत्यादि) से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की दरों में संशोधन ।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राकृतिक विपत्तियों/ आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-जी0आई0-81/1-11-2003-रा0-11-46/96, दिनांक 11.07.2003 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए विभिन्न मदों एवं मानकों हेतु संलग्न सूची के अनुसार व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. यह भी कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदा से मृत पशुओं के मालिकों (लघु सीमान्त कृषकों/ खेतिहर मजदूरों) को राहत सहायता शासनादेश संख्या-1973 एवं 1973(1)/1-11- 2003- 46/96, दिनांक 13.09.2003 के अनुसार अधिकतम दो पशुओं की सीमा तक राहत अनुमन्य की जाय ।

3. संशोधित राहत दरें शासनादेश निर्गत होने के दिनांक तथा उसके पश्चात घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं से प्रभावित पात्र परिवारों/ व्यक्तियों को अनुमन्य होंगी।

4. संशोधित दरों के अनुसार सहायता की स्वीकृति रू0 2000/- तक तहसीलदार, रू0 5000/- तक परगना अधिकारी तथा रू0 5000/- से अधिक स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी । मानव मृत्यु की दशा में व्यय की स्वीकृति परगनाधिकारी के स्तर से प्रदान की जाएगी ।

5. अतः अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/ दिशा-निर्देशों के अनुसार ही सी0आर0एफ0/ एन0सी0सी0एफ0 से आवंटित धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाना तथा धनावंटन हेतु प्रस्ताव उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही भेजा जाय ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

संलग्नः यथोक्त ।

(कपिल देव)
प्रमुख सचिव

Rielef rates 0f 2004

संख्या- जी0आई0-156(1)/1-11-2004-46/96, तद्दिनांक।

संलग्नक सहित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी (आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ)लखनऊ।
7. निदेशक, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. राजस्व अनुभाग-10
10. गार्ड फाइल ।

संलग्नकः यथोक्त ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-जी0आई0-156/1-11-2004-46/96,दिनांक 01 मार्च, 2005 का संलग्नक
देवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को सी0आर0एफ0 तथा एन0सी0सी0एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु निर्धारित दरें एवं मदों की सूची।

क्र0सं0	मद	सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0 एफ0 से प्रदान की जाने वाली सहायता की दरें
1	2	3
1	अहैतुक सहायता	
(अ)	मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	रू0 50,000/-प्रति मृतक
(ब)	किसी अंग या आंख के बेकार हो जाने पर	रू0 25,000/- प्रति व्यक्ति(यह सहायता तभी अनुमन्य है जब अंग की अपंगता 40 प्रतिशत से अधिक हो तथा यह शासकीय चिकित्साधिकारी या शासन द्वारा अधिकृत चिकित्साधिकारी के पैनल द्वारा प्रमाणित हो ।)
(स)	गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रुकने की आवश्यकता हो।	रू0 5,000/- प्रति व्यक्ति।
(द)	वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता	प्रति व्यस्यक रू0 20/- तथा प्रति बच्चा रू0 10/- प्रतिदिन।
(य)	जिन परिवारों के मकान बह गये/पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये,उन्हें बर्तन तथा कपड़े के रुप में सहायता	प्रति परिवार रू0 500/- कपड़े हेतु तथा रू0 500/- बर्तन हेतु ।
(र)	आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों के लिए अहैतुक सहायता। यह सहायता केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनके समक्ष आपदा के कारण भोजन की समस्या उत्पन्न हो गयी हो और जिनके पास जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक संसाधन न हों।	प्रति व्यस्यक रू0 20/- और प्रति बच्चा रू0 10/-प्रति दिन, केवल बस्तुओं में (आवश्यक सामाग्रियां जैसे-आंटा, खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, सब्जियां, माचिस, नमक, खाद्य तेल आदि) अधिकतम 2 सप्ताह तक अथवा जैसी केन्द्रीय दल की सुंस्तुति हो।
2	अतिरिक्त पुष्टाहार	आई0सी0डी0एस0 के मानक के अनुसार रू0 1.05 प्रतिदिन प्रति इकाई।
3	लघु तथा सीमांत कृषकों को सहायता	
(अ)	डिसिल्टिंग आदि	नाबार्ड पैटर्न पर लघु तथा सीमान्त कृषकों को

(ब)	पर्वतीय क्षेत्रों में मलवा हटाने	क्रमशः 25 % तथा 33-1/3 % परन्तु अधिकतम रू0 5,000/- प्रति हेक्टेअर की सीमा तक।
(स)	मत्स्य फार्मों की डिसिल्टिंग/पुर्नस्थापना एवं मरम्मत	
(द)	कृषि निवेश अनुदान जहाँ फसलों की क्षति 50 % या उससे अधिक हो	
(i)	कृषि , उद्यान तथा वार्षिक फसलों के लिए	असिंचित क्षेत्र हेतु रू0 1,000/- प्रति हे0 तथा सिंचित क्षेत्र हेतु रू0 2,500/- प्रति हे0।
(i)ए	लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति मेंलघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न किसानों को कृषि निवेश अनुदान	रू0 1,000/- प्रति हे0 की दर से 2 हे0 प्रति कृषक की सीमा तक।
(ii)	बहुवर्षीय फसले के लिए	रू0 4,000 प्रति हे0।
(iii)	रेशम उत्पादक कृषकों को लिए अनुदान	मूंगा रेशम के लिए रू0 2,000 प्रति हे0 तथा एरी एवं मलवरी रेशम के लिए रू0 1,500 प्रति हे0।
य	नदी की.धारा परिवर्तन, भू एवं हिम स्खलन से भूमि कटान हेतु	रू0 10,000/- प्रति हे0
4	रोजगार सृजन (रोजगार सृजन वाले विभिन्न प्लान स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग कर लेने के पश्चात् केवल अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए)	दैवी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन की वास्तविक मांग के आंकलन के आधार पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक व्यक्ति को माह में कम से कम 10 दिनों के लिए (उन क्षेत्रों में 15 दिवस जहाँ अन्य रोजगार सृजक परियोजनायें लागू नही हैं) काम दिया जाय। इन्हें राज्य सरकार द्वारा अप्रशिक्षित श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन के समान मजदूरी देय होगी, राहत निधि से योगदान 05 कि0ग्रा0 अनाज प्रतिदिन (एस0 जी0आर0वाई0-स्पेशल कम्पोनेन्ट) तथा रू0 15/-प्रति व्यक्ति (सी0 आर0 एफ0/एन0सी0सी0एफ0) तक सीमित होगा। न्यूनतम वेतन के भुगतान हेतु शेष धनराशि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी ।

5	लघु एवं सीमान्त कृषकों/कृषि मजदूरों की पशुपालन सहायता	
(अ)	दुधारू, बोझा ढोने वाले परिवहन से सम्बन्धित अथवा जीविकोपार्जन हेतु पाले गये पशु की मृत्यु पर सहायता	ग्राम्य विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार
(ब)	पशु कैम्प में चारे की व्यवस्था	बड़े पशुओं हेतु रू0 18/-प्रतिदिन तथा छोटे पशु हेतु रू0 09/- प्रतिदिन।
(स)	पशु कैम्पों में जलापूर्ति	प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ।
(द)	दवाइयों और वैक्सिन पर अतिरिक्त व्यय (आपदा से सम्बन्धित आवश्यकताएं)	प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ।
(य)	पशु कैम्पों के बाहर चारे की आपूर्ति	आपदा के कारण परिवहन पर हुए अतिरिक्त व्यय के समतुल्य राहत (प्रत्येक प्रकरण में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर)
(र)	उपयोगी पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु	सम्बन्धित राज्य सरकार के पशुधन तथा दुग्ध विभाग द्वारा विशिष्ट आंकलन के आधार पर योजना प्रस्तुत करने पर।
6	मछुवारों को सहायता	
(अ)	क्षतिग्रस्त जाल/नावों की मरम्मत पुनर्स्थापना हेतु	एस0जी0एस0वाइ0 पैर्टन के अनुसार प्रति परिवार के लिए निर्धारित अनुदान की दरों के अनुसार अनुदान अनुमन्य होगा।
	नाव	नाव की कीमत का निर्धारण भी एस0 जी0 एस0 वाई0 के अन्तर्गत अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा।
	सकरी नाव	
	लट्ठे (केटामेरान)	
	जाल	
(ब)	मछली बीज फार्म हेतु इनपुट सब्सिडी	रू0 2,000/- प्रति हे0।
7	हस्तकरघा सेक्टर के शिल्पियों के क्षतिग्रस्त औजारों की मरम्मत /बदलने हेतु सहायता	
(अ)	परम्परागत शिल्प	
(i)	क्षतिग्रस्त औजारों हेतु	रू0 1,000/- प्रति व्यक्ति
(ii)	कच्चे माल हेतु	रू0 1,000/- प्रति व्यक्ति

(ब)	हथकरघा बुनकरों के लिए	
(i)	हथकरघा से सम्बन्धित औजारों /उपकरणों की मरम्मत/ बदलने हेतु	रू0 1,000/- प्रति करघा
(ii)	धागे व अन्य सामग्री की खरीद हेतु	रू0 1,000/- प्रति करघा
८	क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता	
(अ)	पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान (जहां मकान मरम्मत योग्य न हो और पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो)	
(i)	पक्का मकान	रू0. 10,000/- प्रति मकान
(ii)	कच्चा मकान	रू0 6,000/- प्रति मकान
(ब)	अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान	
(i)	पक्का मकान	रू0 2,000/- प्रति मकान
(ii)	कच्चा मकान	रू0 1200/- प्रति मकान
(स)	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान (जहां कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हुई हो)	रू0 800/- प्रति मकान
9.	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपात कालीन आपूर्ति	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के संदर्भ में केन्द्रीय दल के आंकलन पर /आपदा राहत निधि के संदर्भ में राज्य स्तरीय आपदा समिति के आंकलन पर ।
10	महामारी रोकने हेतु दवाइयां, कीटनाशक तथा विसंक्रामक की व्यवस्था हेतु	तदैव
11	पशुओं एवं मुर्गियों में महामारी रोकने हेतु दवाइयों की व्यवस्था	तदैव
12	प्रभावित /संभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु	तदैव
13	तात्कालिक सहायता/जीवन बचाने हेतु नाव किराये पर लेने की व्यवस्था	तदैव
14	प्रभावित /सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाये गये व्यक्तियों हेतु अस्थायी आवास /खाद्य/कपड़ा दवाइयां आदि	तदैव
15	आवश्यक वस्तुओं की वायुसेना द्वारा आपूर्ति हेतु	तदैव

16	यातायात, विद्युत, जनस्वास्थ्य, पेयजल, बेसिक शिक्षा आदि से सम्बन्धित क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों एवं अवस्थापना की राहत एवं बचाव कार्य हेतु तत्कालिक मरम्मत/ पुनर्स्थापना ।	तदैव
17	क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों तथा सरकारी अस्पताल /स्वास्थ्य केन्द्रों की बरबाद दवाइयों हेतु	तदैव
18	सचल चिकित्सा दल, अस्थयी अस्पतालों, अम्बुलेन्स सेवाओं के लिए ईंधन (केवल पेट्रोल, आयल, लुब्रीकेन्टस)	तदैव
19	मलवे को हटाने में व्यय	तदैव
20	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकास	तदैव
21	खोज एवं बचाव कार्यो में व्यय	तदैव
22	मानव एवं पशु लाशों का निस्तारण	तदैव
23	खोज एवं बचाव दल के राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय	आपदा राहत निधि से व्यय किया जायेगा।
24	खोज, बचाव तथा परिवहन उपकरणों पर व्यय, जिसमें प्रत्येक वर्ष आवंटन का 10% धनराशि आपदा राहत निधि से व्यय	राज्य स्तरीय आपदा समिति के अनुमोदन पर आपदा राहत निधि से व्यय।
25	सार्वजनिक उपयोग हेतु 4 डिजिट कोड टेलीफोन -1077 पर व्यय (बिना मीटर की काल के लिए)	आपदा राहत निधि से व्यय किया जायेगा।

(राकेश कुमार)

अनु सचिव।